यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी, खटीमा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी, खटीमा के माह 06/2012 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री अजय कुमार सचान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री महेन्द्र तिवारी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 30.08.2018 से 04.09.2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।
2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**- कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी खटीमा द्वारा समस्त संकुल केन्द्रों का पर्यवेक्षण, प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता हेतु संबन्धित विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण कर संस्तुति जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा को प्रेषित करना, प्रारम्भिक शिक्षा से संबधित समस्त परीक्षाओं का सफल संचालन, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण कार्यों का अनुश्रवण एवं विकासखण्ड स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा से संबन्धित सभी योजनाओ का सफल क्रियान्वयन का कार्य किया जाता है।

   कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र समस्त खटीमा विकास खण्ड है।

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2012-13		-	1571.43	1463.87	-	-	-	107.56
2013-14	-	-	2020.22	1944.66	-	-	-	75.56
2014-15	-	-	2156.72	2156.72	-	-	-	0.00
2015-16	-	-	2364.06	2385.02	-	-	-	-20.96
2016-17	-	-	2477.12	2477.07	-	-	-	0.05
2017-18	-	-	2718.20	2718.20	-	-	-	0.00
2018-19 (07/2018)	-	-	2294.86	1357.81	-	-	-	937.05

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

क्रम सं	वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	योग	व्यय	आधिक्य/ बचत
1	2012-13	मध्यान्न भोजन योजना	386054.00	109562.00	495616.00	473665.75	21950.25
2	2013-14		21950.25	855716.00	877666.25	847313.00	30353.25
3	2014-15		30353.25	105179.00	135532.25	73878.00	61654.25
4	2015-16		61654.25	31629.00	93283.25	77018.25	16265.00
5	2016-17		16265.00	19683.00	35948.00	22000.00	13948.00
6	2017-18		13948.00	27155.00	41103.00	25000.00	16103.00
7	2018-19		16103.00	6500.00	22603.00	4900.00	17703.00

क्रं सं	वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	योग	व्यय	आधिक्य/ बचत
1	2012-13	सर्व शिक्षा अभियान	शून्य	11632118.00	11632118.00	11622749.00	9369.00
2	2013-14			1245133.00	1245133.00	1160869.00	84264.00
3	2014-15			760896.00	760896.00	669708.00	91188.00
4	2015-16			647451.00	647451.00	628620.00	18831.00
5	2016-17			744810.00	744810.00	724008.00	20802.00
6	2017-18			1233013.00	1233013.00	1079909.00	153104.00
7	2018-19			1760880.00	1760880.00	1647050.00	113830.00

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई सी श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव
2. अपर सचिव/महानिदेशक
3. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
4. मंडलीय अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी
6. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा
7. उप शिक्षा अधिकारी

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी खटीमा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी खटीमा की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 06/2018, 08/2016 एवं 10/2012 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया|

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो (ब)</u>

प्रस्तर 2:- बिना रोक़ड़ बही के रखरखाव किये रू 14503.35 लाख की धनराशि का व्यय

प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र GAR III मे रोक़ड़ बही का रखरखाव किया जाना आवश्यक है। जिसमे समस्त वित्तीय लेन-देनों को उनके होने के तत्काल बाद रोक़ड़ बही मे दर्ज किया जाना चाहिए ।

कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी खटीमा के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि इकाई के पास माह जून 2012 से जुलाई 2018 तक की रोक़ड़ बही उपलब्ध नहीं है। जबकि इस अवधि मे कार्यालय द्वारा रु 14503.35 लाख धनराशि व्यय की गई। जिसका सत्यापन नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा मे इगित किये जाने पर उप शिक्षा अधिकारी ने उत्तर मे कहा कि कार्यालय में अब तक रोक़ड़ बही का रख रखाव नहीं किया जा रहा है।

इकाई का उत्तर स्वत: ही इस आपत्ति की पुष्टि करता है

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
प्रथम लेखापरीक्षा		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

....Nil...

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी खटीमा तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
   शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः** शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम. स.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री डी एस राजपूत	प्र.उप शि॰ अ॰	01-04-2012 से 01-08-2015 तक
2.	श्री रघुराज सिंह महरा	प्र.उप शि॰ अ॰	02-08-2015 से 10-09-2015 तक
3.	श्रीमती सोनी महरा	उप शि॰ अ॰	10-09-2015 से अद्यतन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी खटीमा को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248195" को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.